कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/लेखा–डी–2/28011/2018–19 दिनांक :– 06.06.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के सम्बन्ध में निर्देश।

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश पूर्व में ही इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2018 के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में आगे निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय क्रय कमेटी द्वारा सम्बन्धित साइकिल निर्माता फर्म द्वारा प्रस्तुत सैम्पल को अनुमोदित करने के बाद अनुमोदित सैम्पल साइकिलें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इं.गा.न.प. कॉलोनी, बीकानेर में रखी हुई है। अतः वर्ष 2018–19 के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना को निर्धारित समयावधि में प्रभावपूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले/कार्यालय के लिए अनुमोदित साइकिल का सैम्पल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इं.गा.न.प. कॉलोनी, बीकानेर से दिनांक 13.06.2018 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करावें तथा उसी अनुसार जिले में/नॉडल पर असेम्बल साइकिलों का तकनीकी जांच कार्य समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त नॉडल विद्यालयों को अपने स्तर पर यह निर्देश जारी / दूरभाष पर करें कि सम्बन्धित साइकिल निर्माता फर्म के ट्रक जब नॉडल विद्यालय पर साइकिल फिटिंग हेतु सामान लेकर पहुंचे तो उन्हें पर्याप्त पानी / बिजली तथा बैठने का स्थान आदि आवश्यक रूप से पूर्व में जारी दिशानिर्देश दिनांक 29.05.2018 के अनुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधीन जिले में नॉडल विद्यालयों को यह निर्देश देवें कि साइकिलों की फिटिंग के लिए आए फर्म के मजदूर/फिटरों को विद्यालय परिसर में खुला स्थान/बरामदा/कमरे तथा अन्य मानवीय आवश्यकताओं के लिए सुविधाऐं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें ताकि फिटरों द्वारा साइकिलों की असेम्बलिंग का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सके।
4. नॉडल विद्यालयों पर साइकिलों की असेम्बलिंग के पश्चात् तकनीकी समिति की जांच के बाद सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशालय स्तर से इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें यदि जिला स्तर/नॉडल स्तर पर इसकी अवहेलना की गई / पालना नहीं की गई तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करावें।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/लेखा–डी–2/28011/2018–19 दिनांक :– 06.06.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु।
2. सिस्टम एनालिस्ट (स.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
4. सम्बन्धित फर्म विशाल साइकिल, लुधियाना एवं सेठ इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, लुधियाना।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इं.गा.न.प. कॉलोनी, बीकानेर को उक्तानुसार विद्यालय खुला रखने एवं जिले के प्रतिनिधियों को नमूना साइकिल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
राजस्थान, बीकानेर